न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : महीपाल सिंह आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 129 / 2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

[illegible] पिता गिरधारी बलाई नि0 लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—————प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पिता मोहन माली निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
2. सम्पत पिता मोहन माली निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. हेमराज पिता मोहन माली निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. बदामी पत्नि मोहन माली निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
5. मृतक मोहन पिता गोकल माली जरिये वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से 4
6. गोर्धन पिता गोकल माली निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
7. गोपाल पिता मोहन माली निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
8. सरजु पिता गोकल माली निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —
1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 21—01—21

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी / प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 06.08.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा अमरपुरा पटवार मण्डल बबराणा तहसील बनेडा स्थित खाता संख्या 15 का आराजी नम्बर 649 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण / रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी—पडौसीयों से निन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 646 , 648 के मेर के सहारे—सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 06.01.2021 को प्रकरण में हल्का पटवारी बबराणा द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, एंव जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये।

अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 बाद तामिल अनुउपस्थित जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौजा अमरपुरा के आराजी न0 646 मेसे 0.01.08 बीघा एंव आराजी नं0 648 मे से 0.00.12 बीघा इस प्रकार रास्ते बाबत् कुल 0.02 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

परन्तु तहसील कार्यालय बनेडा से हल्का पटवारी बबराणा की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है जो निम्न है –

1. ग्राम अमरपुरा की आराजी नं0 649 रकाब 4.06 बीघा किस्म बारानी द्वितीय भूमि गंगाराम पिता गिरधारी बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड है ।
2. आ0न0 649 मे आने जाने बाबत् लघुत्तम रास्ता आ.न. 646 , 648 किता 02 रकबा 2.08 बीघा के मध्य से होकर एंव रास्ते का कुल रकबा 0.02 बीघ्झा भूमि रास्ते के उपयोग मे आयेगी ।
3. आ.न. 649 मे आने जाने बाबत् खातेदारी आ.न. 646 मे से 0.01.08 बीघा एंव आ.न. 648 मे से 0.00.12 बीघा रहेगी । इस प्रकार रास्ते बाबत् कुल 0.02 बीघा भूमि काम आयेगी ।
4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर की प्रति संलग्न है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है । भू.अ.नि. महुआखुर्द की रिर्पोट अनुसार प्रार्थी एंव अप्रार्थी वांछित रास्ते की भूमि के बदले भूमि लेन देन पर सहमत है अतः नजरी नक्शा मे लाल स्याही से अंकित जो प्रस्तावित मार्ग जो अप्रार्थी गण की आराजी संख्या 646 एंव 648 की पूर्वी सीमा के सहारे से गुजरता है मै 15 फीट चोडाई का रास्ता स्वीकृत किया जाता है एंव रास्ते के कुल रकबे के समान रकबा भूमि प्रार्थी की आराजी संख्या 649 के उत्तरी हिस्से लम्बाई मे से अप्रार्थी की आराजी संख्या 648 मे शामिल करते हुए तरमीम कीये जाने के योग्य है ।

अतः मौजा अमरपुरा आ.न. 646 मे से 0.01.08 बीघा एंव आ.न. 648 मे से 0.00.12 बीघा इस प्रकार रास्ते बाबत् कुल 0.02 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित उक्त 0.02 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी बबराणा के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा अमरपुरा पटवार मण्डल बबराणा तहसील बनेडा स्थित आराजी नं0 649 मे पहुंचने हेतू ग्राम अमरपुरा की आ.न. 646 मे से 0.01.08 बीघा एंव आ.न. 648 मे से 0.00.12 बीघा इस प्रकार रास्ते बाबत् कुल 0.02 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में भू.अ.नि. महुआखुर्द की रिर्पोट अनुसार प्रार्थी एंव अप्रार्थी वांछित रास्ते की भूमि के बदले भूमि लेन देन पर सहमत है अतः नजरी नक्शा मे लाल स्याही से अंकित प्रस्तावित मार्ग जो अप्रार्थी गण की आराजी संख्या 646 एंव 648 की पूर्वी सीमा के सहारे से गुजरता है, में 15 फीट चोडाई का रास्ता स्वीकृत किया जाता है एंव रास्ते के कुल रकबे के समान रकबा भूमि प्रार्थी की आराजी संख्या 649 के उत्तरी हिस्से लम्बाई मे से अप्रार्थी की आराजी संख्या 648 मे शामिल करते हुए तरमीम कीए जाने के आदेश दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा